प्रेस विज्ञप्ति

13.11.2025

ईडी ने जेपी समूह से संबंधित धन-शोधन मामले में मनोज गौड़ (जेपी समूह) को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। जेपी समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में चल रही जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद आज यानी 13/11/2025 को गिरफ्तारी हुई।

ईडी ने जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जेपी समूह के खिलाफ जांच शुरू की। इन शिकायतों में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्रित धन को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया गया, जिससे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जाँच से पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, एक बड़ा हिस्सा गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए विपथित किया गया और जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल), और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दिया गया। जाँच के दौरान यह भी पता चला है कि मनोज गौड़ जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिन्हें डायवर्ट किए गए धन का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था।

इससे पहले, 23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए, साथ ही धन शोधन और धन के विपथन के अपराध के सबूत वाले दस्तावेज भी जब्त किए।

जाँच से जेपी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के बीच लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के हेरफेर की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौड़ की केंद्रीय भूमिका सामने आई है। मनोज गौड़ को आज यानी 13/11/2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच जारी है।